न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 36/2017

उनवान

1. दाखू पत्नि स्व0 कालू
2. सांवरा,
3. मूलचन्द,
4. बजरंग, पि0 स्व0 कालू
5. प्रेम प0 रामा
6. शंकर,
7. प्रहलाद पि0 स्व0 रामा ना.बा. जरिये माता प्रेम जाति रावत निवासी देराठू नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सांवलराम,
2. भागचन्द,
3. सुगनचन्द,
4. विजयसिंह, पि0 रामा,
5. आपूदेवी पत्नि रतन
6. मथरा सिंह,
7. छोटी,
8. मीरा, पि0 रतन
9. श्रीमति सेठा प0 शंकर
10. गोपाल,
11. मन्ना,
12. शारदा पि0 शंकर समस्त जाति रावत निवासी देराठू नसीराबाद
13. उप पंजीयन अधिकारी नसीराबाद
14. सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री आशीष अजमेरा
शेष अनुपस्थित
13 व 14 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:45:14 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :– दिनांक : 5.1.23

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू की आराजी वादीगण के पति/पिता की की कयशुदा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चौसाला खसरा नम्बर	वंर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1523	1527	1–8–0	3817	0.39
	1528	1–0–0		

उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 1523 रकबा 7–10–0 के वंर्किंग खसरा नम्बर 1525/2–15–0, 1526/2–6–10, 1527/1–8–10 व 1528/1–0–0 के खतेदार सावला, रामा व रतना व पन्नी पत्नी बालू शंकर पुत्र बालू में से सांवला व रतना पुत्र कालू ने अपना हिस्सा वंर्किंग खसरा नम्बर 1527 व 1528 को दिनांक 13.08.82 को केता कालू व रामा पुत्र राजू को बैचान कर दिया तथा कब्जा सुपुर्द कर दिया। केता कालू व रामा की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण है। विकेता रतना के वारिस प्रतिवादी संख्या 5 से 8 है तथा शेष प्रतिवादीगण सह खातेदार है। वादीगण उक्त भूमि पर खरीद दिनांक से ही काबिज है। बंदोबस्त विभग ने आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 3817 रकबा 0.39 को नियमानुसार वादीगण/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज करने के बजाय प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दिया। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। तथा आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरियें अधिवक्ता स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 12 बावजूद तामीली अनपुस्थित रहे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की विधिक क्रयशुदा है ?
   -- वादी
2. आया वादी वादग्रस्त आराजी त्रुटिपूर्ण होने से खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है?
   -- वादी
3. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?
   -- वादी
4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन राजस्व अभिलेख तथा विक्रय पत्र पेश किय। साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार सावंल, रतना पुत्र कालू ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.8.82 को चौसाला खसरा नम्बर 1523 रकबा 7–10–0 में विकेता का हिस्सा कय किया। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2005–28 में उक्त आराजी कई व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज है। चौसाला खसरा नम्बर 1523 के वंर्किंग खसरा नम्बर 1525, 1526, 1527 व 1528 बने है। वंर्किंग खसरा [illegible] 27 व 1528 कालू पुत्र जुवाना के नाम थे जो विरासत से सांवला, [illegible] व शंकर पुत्र बालू के नाम दर्ज हुये। वंर्किंग खसरा [illegible] वादीगण द्वारा पेश नही की गयी है। उक्त खसरा नम्बर की वाद में वादी [illegible] द्वारा पेश नही किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:45:14 IST
Reason: SelfAttested

--3

उपखण्ड अधिकारी
न[illegible] (अजमेर)

वर्किंग खसरा नम्बर 1527 व 1528 के हाल खसरा नम्बर 3817 रकबा 0.39 बने है जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 3817 में से वादीगण के पूर्वज ने सांवल, रतना पि. कालू का हिस्सा क्रय कर लिया है। जबकि हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 3817 मे विक्रता सांवलराम स्वयं व रतना के वारिसों का नाम पुनः दर्ज कर दिया गया है। विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोही नही की है। उक्त चौसाला खसरा नम्बर के वर्किंग खसरा नम्बर वर्किंग जमाबंदी व हाल खसरा नम्बर हाल राजस्व अभिलेख मे बिना किसी आधार के विक्रेता/वारिसान के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दिये जबकि बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ही दोहराना था तथा वादपत्र में प्रस्तुत विक्रय पत्र की पालना भी राजस्व कार्मिको द्वारा नही की गयी। वादीगण के पूर्वज द्वारा सार्विक खसरा नम्बर में से जितना हिस्सा जिस खातेदार का क्रय किया है। उतने रकबे पर वादीगण का नाम दर्ज करना चाहिये था। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी का विक्रय पत्र पंजीकृत है। विकेता ने विक्रय की गयी आराजी के बदले प्रतिफल राशि प्रापत कर ली है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत विकतागण के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। वादी द्वारा प्रसतुत साक्ष्य व दस्तावेज ये वाद के कथनों की ताईद होती है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद के तथ्यों लिखित में स्वीकार किया है। अतः दोनो तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन अनुसार आराजी मुतजनाजा वादीगण की विधिक क्रयशुदा है। वादीगण हाल खसरा नम्बर 3817 रकबा0 39 पर प्रतिवादी संख्या 1 व 5 से 8 के हिस्से पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 5 से 8 का कोई हक व अधिकार शेश नही है। अतः वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 5 से 8 के विरूद्व स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है। तनकी संख्या 3 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3817 रकबा 0.39 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 3817 रकबा 0.39 पर प्रतिवादी संख्या 1 व 5 से 8 के स्थान पर वादीगण को खातेदार धोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:45:14 IST
Reason: SelfAttested